कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), पूर्णियाँ
जिला– पूर्णियाँ

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, पूर्णियाँ के नवम्बर 2008 से जनवरी 2017 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 199 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

-ह0-

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 1463/96 **दिनांक–** 05/06/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पूर्णियाँ

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

सामाजिक प्रक्षेत्र–I

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 199/17–18

भाग–I

प्रस्तावना

1	कार्यालय का नाम	जिला शहरी विकास अभिकरण, पूर्णियाँ
2	कार्यपालक अभियंता का नाम	श्री अशोक कुमाार पासवान 05.03.10 से 10.07.12 श्री प्रेमचन्द राय 11.07.2012 से 05.12.14 तक श्री उपेन्द्र कुमार 06.12.14 से 10.08.16 तक श्री अजय कुमार सिंह 11.08.16 से अबतक
3	मुख्य अभियन्ता का नाम एवं पता	श्री सुधीर कुमार दास, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना
4	अधीक्षण अभियन्ता का नाम एवं पता	श्री सुरेश तिवारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
5.	लेखा की अवधि	नवम्बर 2008 से जनवरी 2017 तक
6.	लेखापरीक्षा की अवधि	दिनांक 04.02.2017 से 15.02.2017 तक
7.	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	अभिकरण के प्रारंभ से अबतक के लेखाओं की नमूना जाँच की गयी। माह 08/2011, 03/2016 एवं 12/2016 के लेखाओं की विस्तृत जाँच एवं माह 09/16 एवं 03/14 के लेखाओं की अंकगणितीय जाँच की गयी।
8.	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	श्री देवेन्द्र कुमार सिन्हा, ले.प.अ. श्री सिकेन्द्र कुमार, स.ले.प.अ. श्री राम नाथ प्रसाद, पर्यवेक्षक श्री राजेश कुमार सिंह, व.ले.प. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, ले.प.
9.	क्या कार्यपालक अभियन्ता के साथ विचार– विमर्श हुआ	हाँ, दिनांक 15.02.17 को विचार– विमर्श किया गया ।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र
DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण, पूर्णियाँ द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। प्राप्त सूचनाओं/तथ्यों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निरीक्षण प्रतिवेदन में त्रुटि की जिम्मेवारी लेखा परीक्षा दल, कार्यालय महालेखाकार (ले0प0), बिहार, पटना की नहीं होगी।

भाग– II क– शून्य

भाग– II ख

कंडिका– 1 <u>संवेदक को SM Gr-III कार्य हेतु अनियमित भुगतान ₹ 0.69 लाख</u>

योजना का नाम–पोलिटेक्नीक चौक नन्दु ठाकुर के घर से गौरीशंकर केसरी के घर होते हुए कॉंग्रेस कार्यालय स्व0 सुकदेव कुंवर के घर एवं काली मंदिर चौक होते हुए डी. एन. चौधरी के घर तक सड़क का जीर्णोद्धार

तकनीकी अनुमोदन– ₹8850800 अ0अ0/आर.सी.डी. दिनांक 29.07.09

प्रशासनिक अनुमोदन– ₹8850800 आयुक्त पू0 प्रमंडल

तकनीकी स्वीकृति– ₹8850800 अ0अ0/आर0डब्लु0डी0 दिनांक 19.04.2010

परिमाण विपत्र की राशि– ₹8735721

निविदा की तिथि– 22.04.2010 निविदित दर– (–) 0.80 प्रतिशत

एकरारित राशि– ₹8665835 अनुबंध संख्या– 39/F2/2010–11 Gr-3

कार्य समाप्ति की अवधि– 6 माह कार्य आरंभ की तिथि– 10.12.2010

कार्य की भौतिक स्थिति– पूर्ण

योजना में भुगतान की राशि– ₹8636854

उपरोक्त योजना के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त सड़क की स्थिति अत्यंत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त प्रतिवेदित किया गया था। फलतः पथ के पूरे लम्बाई में SM Gr-III बिछाने का प्रावधान किया गया था। SMGr-III के उपर पी.सी.सी. ढलाई एवं ढलाई के दोनों तरफ 0'–10'' मोटा ईंट चुनाई का प्रावधान किया गया था।

लेखापरीक्षा आपति–

(i) मापीपुस्त के अवलोकन में पाया गया कि उक्त कार्य योजना में 5371 (4950+ 222+ 199) फीट लम्बाई में SM Gr-III बिछाई का कार्य कराया गया था जबकि पी.सी.सी. कार्य मात्र 4946 (3746+ 1200) फीट लम्बाई में ही कराई गई थी। इस प्रकार 5371– 4946 =425 फीट की लम्बाई SM Gr-III कार्य के बावजूद पी.सी.सी. कार्य नहीं कराया गया था।

425 फीट में SM Gr-III कार्य की मात्रा –425'x10'x3'यहॉं भराई =1062.5 cft= 30.06m3

इस पर किया गया व्यय की राशि–30.06x ₹2316.02= ₹69619.56

उक्त पथ की लम्बाई में पी.सी.सी. कार्य कराये बगैर कार्य हेतु संवेदक को किया गया भुगतान ₹ 69620 अनियमित था।

उपरोक्त अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि

उक्त योजना में मापी पुस्त में अधिक लंबाई में कार्य दर्ज रहने के बावजूद अंतिम भुगतान स्वीकृत मात्रा (प्राक्कलन एवं एकरारनामा) के अंतर्गत ही किया गया है। इस प्रकार संवेदक को अधिक एवं अनियमित

भुगतान नहीं हुआ है। सुलभ प्रसंग हेतु अंतिम विपत्र के पृष्ठ सं. 17 से 20 की छायाप्रति संलग्न की जाती है।

पी.सी.सी. कार्य के बिना SM Gr-III का कार्य अनुपयोगी है। अतः दिया गया जवाब मान्य नहीं है।

कंडिका– 2 MMSSVY योजना अन्तर्गत मध्य विद्यालय गुलाबबाग चौक से गुलाबबाग हल्का कचहरी होते हुए सोनाली पथ तक का सम्पूर्ण जीर्णोद्धार कार्य की समीक्षा

एकरारनामा सं.– 41/F2/10–11 एकरारनामा की तिथि– 10.12.10

प्राक्कलित राशि– ₹ 5497169

एकरारनामा की राशि–₹ 5409214 (1.6% below)

संवेदक का नाम– श्री धनंजय कुमार सिंह

कार्य आरंभ की तिथि– 10.12.10

कार्य समाप्त करना था– 09.04.11

कार्य समाप्त किया गया– 20.07.12 (1 वर्ष 3 माह विलंब से)

मापीपुस्त के अनुसार कार्य मूल्य– ₹ 4989286

अबतक भुगतान– ₹ 4989286 (20.10.12, 4th& final bill)

M.B.No-46/10–11

उपरोक्त कार्य की समीक्षा में निम्न अनियमितताएँ पायी गयी–

(1) संवेदक को अदेय सहायता (कार्य विलंब प्रतिकर की कम वसूली के कारण) ₹ 2.89 लाख

एकरारनामा के clause 2 के अनुसार संवेदक द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूरा ना करने की स्थिति में कार्य विलंब प्रतिकर के रूप में प्रत्येक विलंब दिवस हेतु कार्य के कुल प्राक्कलित राशि का ½ प्रतिशत राशि जो अधिकतम 10 प्रतिशत होगा की कटौती का प्रावधान है। उपरोक्त कार्य की संचिका के अवलोकन में पाया गया कि संवेदक द्वारा कार्य 1 वर्ष 3 माह 11 दिन विलंब से पूरा किया गया था। इस प्रकार संवेदक से प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत अर्थात ₹ 549717 की कटौती कार्य विलंब प्रतिकर के रूप में किया जाना चाहिए था परन्तु मात्र ₹ 261251 की कटौती की गई थी (₹ 49462 M.B.p/10, 204568 p/20, 7221 p/24)। इस प्रकार संवेदक को ₹ 288466 की अदेय सहायता दिया गया था।

उपरोक्त आपत्ति के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त कार्य में संवेदक के द्वारा जमा 5 प्रतिशत अग्रधन की राशि एवं विपत्रों में से काटी गई 5 प्रतिशत जमानत की राशि कार्यालय में जमा है, जो कि कुल मिलाकर 10 प्रतिशत होता है, समय वृद्धि की राशि से अधिक है। समय वृद्धि की स्वीकृति नहीं मिलने की स्थिति में अग्रधन एवं जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुकूल कटौती नहीं की गयी है।

(2) निम्न स्तरीय निर्माण कार्य ₹ 6.01 लाख

योजना के प्राक्कलन एवं प्रतिवेदन से स्पष्ट था कि सम्पूर्ण पथ पर stone metal gr-III के बिछाई के उपरांत ही पक्कीरण/पी.सी.सी. तथा कालीकरण कार्य (बी.एम. एवं एस.डी.बी.सी.) किया जाना था पर मापीपुस्त से ज्ञात होता है कि कालीकरण कार्य 1982 फीट लम्बाई तक किया गया था (p-12,13,14,15,16) जबकि कालीकरण पथ के मात्र 1362 फीट लम्बाई तक ही stone metal gr-III बिछानों को किया गया था। इस प्रकार ₹ 515131.61 मूल्य का कालीकरण पथ प्राक्कलन में प्रावधानित stone metal gr-III बिछाए बिना (समतलीकरण किए बिना) किए जाने के कारण निम्न स्तर का रहा। विवरण निम्न है–

Providing and laying Bituminous manodam ....etc all complete job. (sr.no 7) 1.01x 189.02x 5x 0.05@ 5842.82/m3	278863.48
Providing and laying semidense Bituminous concrete.................. Etc. all complete job (sr.no 8) 1.01x 189.02x 5x 0.02@ 8083.55/m3	193087.71
Providing and apply track coat with Bituminious emulsion (Rs 1)........ etc all complete job (sr.no10) 1.01x 189.02x 5@ 11.03/m3	10528.69
Providing and applying track coat with Bituminous emulsion (SS-I)............. etc all complete job (sr.no11) 1.01x 189.02x 5@34.21	32651.73
	515131.61

पुनः प्राक्कलन से ज्ञात होता है कि पी.सी.सी. सड़क के किनारे Bricks mas sonry work करना था पर 91 सी.एफ.टी. अर्थात 27.74 मीटर लम्बाई (p/21 PCC सड़क के किनारे Bricks masonry work नहीं किया गया था। Bricks masonry work नहीं किए जाने के कारण सड़क किनारे टूटने की संभावना थी। इस प्रकार Bricks masonry work नहीं किए जाने के कारण ₹ 86256.75 मूल्य का पी.सी.सी. सड़क निम्नस्तरीय रहा।

उपरोक्त आपत्ति के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि पी.सी.सी. पथ के दोनों तट पर घर रहने के कारण ब्रिक मेजनरी वर्क करना संभव नहीं था। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि प्राक्कलन में ऐसा उल्लेख नहीं है।

(3) रॉयल्टी कम काटे जाने के कारण राजस्व हानि (₹ 0.28 लाख)

एकरारनामा के शर्त के अनुसार सभी शुल्क, कर रॉयल्टी संवेदक द्वारा भुगतान किया जाना था। मापीपुस्त के अवलोकन में पाया गया कि कार्य में उपयोग किए गए लघु खनिज की रॉयल्टी राशि ₹73743.8 थी पर रॉयल्टी के रूप में संवेदक से मात्र ₹44783 की रॉयल्टी की गई। कम रॉयल्टी कटौती के कारण सरकार को ₹28961.30 की राजस्व हानि हुई। विवरण निम्न है–

सामग्री	उपयोग की मात्रा	रॉयल्टी दर	वास्तविक रॉयल्टी की राशि
मोरम	333.25 M3	38/m3	12663.80
स्टोन मेटल ग्रेड–3	426.75 M3	50/m3	21337.50
ईंट	30090 इकाई	20 /000	601.80
बालू	178.75 M3	32/m3	5720.00
स्टोन चिप्स	668.43 M3	50/m3	33421.50
			73744.30

काटी गई रॉयल्टी (27200 MB p/7+ 8592 MB p/10 + 8391 p/20+ 600 p/24)= ₹ 44783.00

अंतर– ₹ 28961.30

उपरोक्त आपत्ति के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त योजना का अंतिम विपत्र पारित नहीं है, अंतिम विपत्र में से जॉचोपरान्त रॉयल्टी की राशि का समायोजन कर लिया जाएगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाये।

(4) श्रम सेस की कम कटौती ₹ 0.26 लाख

भारत सरकार श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तदनुसार बिहार सरकार ने असाधरण गजट अधिसूचना सं. 4/एफ/1–302/2006 श्र.नि. 865 दिनांक 18.08.08 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों के निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को निप्रेषित करने का प्रावधान है।

उपरोक्त कार्य की संचिका के समीक्षा में पाया गया कि मापीपुस्त के अनुसार कुल कार्य मूल्य ₹4989286 था इस प्रकार 1 प्रतिशत श्रम सेस की राशि ₹ 49893 होती थी पर संवेदक के बिल से राशि ₹23768 श्रम सेस की कटौती की गई थी। इस प्रकार राशि ₹ 26124 श्रम सेस की कटौती नहीं की गई थी।

उपरोक्त आपत्ति के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त योजना का अंतिम विपत्र पारित नहीं है, अंतिम विपत्र में से जॉचोपरान्त रॉयल्टी की राशि का समायोजन कर लिया जाएगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाए।

(5) ढुलाई पर अनियमित भुगतान ₹ 20.89 लाख

संवेदक द्वारा लघु खनिज की खरीद बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता, प्रबंधक, संवेदक या उप पट्टाधारी से की जानी होती है तथा इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र एम एवं एन अपने शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र एम तथा एन का सत्यापन संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवाया जा सके। प्रपत्र एम तथा एन को असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा प्रपत्र एम तथा एन अपने शपथ पत्र के साथ ना दाखिल किए जाने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 40(8) के अन्तर्गत देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य

एवं अन्य कर की कटौती संवेदक के विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

कार्य की संचिका के जॉच में पाया गया कि कार्य में उपयोग किए गए लघु खनिज का एम एवं एन प्रपत्र संवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। उपरोक्त प्रपत्र के अभाव में यह संभावना बनती है कि लघु खनिजों को चिन्हित स्थानों से नहीं खरीद गया हो। अतः उपरोक्त खनिजों को चिन्हित स्थानों से खरीद कर लाने हेतु दिया गया ढुलाई ₹ 2089380.44 एम एवं एन विपत्र के अभाव में अनियमित था। विवरण निम्न है–

समाग्री	उपयोग की मात्रा	ढुलाई दर	वास्तविक ढुलाई की राशि
GSB	333.25 M3	814.80/m3	271532.10
stone metal Gr-II	426.75 M3	1017.36/m3	434158.40
Bricks	30090 इकाई	376.40 /000	11325.90
Sand	178.75 M3	838.32/m3	149849.70
Stone chips	668.43 M3	1879.76/m3	1256488.00
			2123354.10
		less below 1.6%	33973.66
			2089380.44

उपरोक्त आपत्ति के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त योजना का अंतिम विपत्रों में से रॉयल्टी की राशि कटौती कर संबंधित कार्यालय में जमा कर दिया गया है। भविष्य में निदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। साक्ष्य के अभाव में जवाब मान्य नहीं है।

(6) Bitumen Emulsion की ढुलाई पर अधिक भुगतान ₹ 0.02 लाख

Bitumen Emulsion की खरीदारी हेतु (625 Km from Purnea) को चिन्हित करते हुए Bitumen Emulsion की ढुलाई ₹ 3331.58/MT निर्धारित था, पर Bitumen Emulsion की खरीद KOLKATA (490 KM FROM PURNIA) से किया गया था। अतः Bitumen Emulsion की ढुलाई 644.7/– होता है ((490x4.80+143)+1.06)। अतः 3.306 MT पर @686.88 (3331.58- 2644.70) की दर से ₹ 2271 का अधिक भुगतान था।

उपरोक्त आपत्ति के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त योजना के प्राक्कलन में प्रावधानुसार ही विटुमिनस की खरीददारी की गई है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि वास्तविक दूरी एवं प्राक्कलन में अंकित दूरी में 135 किलोमीटर का अंतर है।

(7) निर्मित सड़क की लम्बाई प्राक्कलन से कम होना

प्राक्कलन के अनुसार सड़क की लम्बाई 1300 मीटर (500 मी० पी.सी.सी.+ 800 मी. कालीकरण) था पर मापीपुस्त के अनुसार बनाए गए पी.सी.सी. सड़क की लम्बाई 1591 फीट अर्थात 485.06 मीटर (P-3, 4, 5, 21) तथा कालीकरण सड़क की लम्बाई 1982 फीट अर्थात 604.26 मीटर थी। इस प्रकार निर्मित सड़क की कुल लम्बाई 1089.32 था जो प्राक्कलित सड़क की लम्बाई से 210.68 मीटर कम था। इस प्रकार

प्राक्कलित सड़क का मात्र 83.79 प्रतिशत भाग का ही निर्माण हुआ था तथा शेष भाग अनिर्मित रहा। जिससे कार्य की उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पायी।

उपरोक्त आपत्ति के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त योजना में भूमि विवाद होने के कारण प्राक्कलन से कम लंबाई में कार्य कराया गया है। उक्त जवाब के आलोक में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः जवाब मान्य नहीं है।

कंडिका– 03 <u>टेंडर में अनियमितता के कारण हानि ₹ 57025</u>

योजना का नामः रजनी चौक पर नगर निगम पार्क का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य

प्राक्कलित राशि– ₹ 933306

संवेदक का नाम– श्री अविनाश कुमार

कार्य की स्थिति–पूर्ण

भुगतान का विवरण

1st bill	279894
2nd bill	255426
3rd bill	303860
	839180

<u>अंकेक्षण टिप्पणी</u>–

उक्त योजना से संबंधित संचिका में संलग्न तुलनात्मक विवरणी एवं टिप्पणी की जॉच में पाया गया कि श्री राजीव कुमार झा, संवेदक द्वारा योजना की प्राक्कलित राशि (निविदित राशि) से 11.11% कम पर निविदा डाला गया जबकि सफल संवेदक, जो प्राक्कलित राशि कम निविदित राशि से 5% कम पर निविदा डाला से कार्य कराया गया। श्री राजीव कुमार झा को (11.11% कम पर निविदा डालने वाले) इस आधार पर अयोग्य करार दिया गया कि पार्क का अनुभव प्रमाण पत्र शपथ पत्र के रूप में संलग्न नहीं किया गया था जबकि टेंडर की शर्तों में पार्क अनुभव प्रमाण पत्र का शपथ पत्र के रूप में नहीं मांगा गया था।

उक्त स्थिति में 11.11% कम पर डाले गये निविदा वाले संवेदक से कार्य नहीं कराये जाने के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त योजना के निविदा निष्पादन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना सं0 13/2010–11 के कंडिका 36 के अनुरूप अनुभव प्रमाण–पत्र आवश्यक शर्त के रूप में मांग की गई है। तथ्य संबंधी अनुदेश के आलोक में निविदा निष्पादन किया गया था। साक्ष्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना की छायाप्रति संलग्न की जाती है।

उपरोक्त जवाब मान्य नहीं है क्योंकि टेंडर की शर्तों में पार्क अनुभव प्रमाण पत्र का शपथ पत्र के रूप में नहीं मांगा गया था। अतः श्री राजीव कुमार झा को (11.11% सबसे कम दर पर निविदा डालने वाले योग्य संवेदक) कार्य नहीं दिये जाने के कारण विभाग को ₹ 57025 की हानि हुआ।

कंडिका– 04 संवेदक को ₹ 0.14 लाख का अधिक भुगतान

योजना का नाम– मधुबनी दुर्गास्थान से विपिन राय के घर होते हुए अड़गड़ा चौक तक पथ में जीर्णोद्धार कार्य

तकनीकि अनुमोदन– ₹ 3999000 का0अभि0 / 08.08.09

प्रशासनिक स्वीकृति– ₹ 3999000 जि0पदा0 / 19.09.09

तकनीकि स्वीकृति– ₹ 3984500 का0अभि0 / 24.04.10

(B.O.Qकी राशि) प्राक्कलित राशि– ₹ 3913582

निविदा की तिथि– 28.04.2010

कार्य समाप्ति की अवधि– 4 माह or before 30-09-2010

निविदित दर– (–) 0.1% एकरारित राशि– ₹ 3909671.00

कार्य आरंभ की तिथि– 31.05.2010

अनुबंध संख्या– 01 / F2 / 2010–11 संवेदक का नाम– श्री विपिन कुमार राय

कार्य की भौतिक स्थिति– पूर्ण

कार्य का मूल्य– ₹ 3556281.00

भुगतान विवरणी

(क)	751735
(ख)	1647265
(ग)	500000
(घ)	657282
	₹ 3556282

उपरोक्त योजना के प्रतिवेदन के अनुसार, 625 मीटर सड़क की लम्बाई में जी0एस0बी0, स्टोन मेटल ग्रेड– III, पी.सी.सी. ढलाई एवं ढलाई के दोनों ओर ईट का एज सोलिंग कार्य का प्रावधान किया गया था।

(i) मापीपुस्त के अवलोकन से पाया गया कि G.S.B. कार्य की गणना में त्रुटि के कारण संवेदक को ₹10835.00 का अधिक भुगतान किया गया था। विवरणी इस प्रकार है–

की गई गणना 400x13'x4"= 1969.50 थी जबकि शुद्ध मात्रा 1733.33 c.f.t. आता है। इस प्रकार (1969. 50– 1733.33) = 236.17 c.f.t. =6.68 m3 मात्रा की अधिक गणना की गई थी। अतः 6.68x 1622.55= ₹10839 का अधिक भुगतान हुआ था।

(ii) उपरोक्त योजना में निवेदित दर (–) 0.1% था परन्तु अंतिम भुगतान करते समय संवेदक के विपत्र से निवेदित दर की कटौती नहीं की गई थी फलतः ₹ 3556 का अधिक भुगतान संवेदक को किया गया था।

विपत्र की राशि–3556282–MB page no

Less TP (-) 0-1% 3556

इस प्रकार संवेदक को 10839+ 3556 = ₹14395 का अधिक भुगतान किया गया था। उपरोक्त अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त योजना के विपत्र में जी0एस0बी0 कार्य की गणना में भूल के कारण अधिक भुगतान ₹ 10,839 एवं अंतिम भुगतान में निविदित दर के कटौती में हुई भूल के कारण ₹ 3,556 यानी कुल (10,839+3,556) ₹ 14,395 संवेदक के जमानत की राशि से समायोजन कर लिया जाएगा।

अतः उत्तर के अनुरूप कार्रवाई की जाए।

कंडिका– 5 प्राक्कलन से विचलन एवं अनियमित भुगतान ₹1.30 लाख

योजना का नाम– डी.डी.सी. आवास से स्व0 सोना बाबू वकील के घर तक सड़क का जीर्णोद्धार

तकनीकी अनुमोदन– ₹ 3135200 का0आ0 14.05.2010

प्रशासनिक स्वीकृति– ₹ 3135200 जि0पदा0 21.06.10

प्राक्कलित राशि– ₹ 3017104 (As per B,.O.Q.)

अनुबंध संख्या– 20/F2/2010–11

एकरारित राशि– ₹ 3017104

कार्यादेश की तिथि– 20.08.2010

संवेदक का नाम– श्री धनंजय कुमार

कार्य पूर्ण करने की अवधि– 3 माह i.e. on or before 19.11.2010

भुगतान विवरणी–

857376	vr.no 05/21.12.10
1023624	vr. No 08/28.03.11
₹ 1135301	

कार्य की भौतिक स्थिति– पूर्ण

पथ की लंबाई– 700+ 200 app = 900 (total length stranch)

योजना के प्रतिवेदन के अनुसार पथ की लम्बाई 900 m=2953'-0"में पूर्व की चौड़ाई 9'-0"को 12'-0"करते हुए GSB 0.20 m एवं पथ पर चौड़ाई में 0'-3" ग्रेड III मेटल बिछाकर BM एवं SDBC का प्रावधान किया गया था जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाने थे तथा B.O.Q. निर्धारित की गई थी :–

क्र.सं.		मात्रा
(i)	E/W cutiing road embankment 900,लंबाई में दोनों side 1'6" चौड़ाई 1'6" के साथ	$165.44m^3$
(ii)	G.S.B. in road cutting	$165.44m^3$
(iii)	Providing & lying stone metal Gr-III 900 मी0 में 12 फीट चौड़ाई के साथ – 248.84 Add 15% Ditch & patch- 37.33	286.17
(iv)	BM (900 मी0 में 12'-0" चौड़ाई के साथ)	$165.89m^3$
(v)	SDBC (900 मी0 में 12'-0" चौड़ाई के साथ)	$82.95m^3$
(vi)	Prime coat (900 मी0 में 12'-0" चौड़ाई के साथ)	$3317.85m^2$
(vii)	Tack coat (900 मी0 में 12'-0" चौड़ाई के साथ)	$3317.85m^2$

मापी पुस्त के अनुसार उपरोक्त योजना में निम्न प्रकार से कार्य किये गये थे–

Item of work	length of work	Qty of work		Rate	Amt (₹)	M.B. page no
Road cutting	R.length 2860ft=871m	5415.10cft	$153.36m^3$	49.22	7548.35	1 to 2 item no-I
G.S.B.	R.length 2860ft Ditch-471ft	5415.40 426.96 5842.36cft	$165.45m^3$	1585.92	262227	page item
Metal Gr-III	Pots & patch R.length-2860	1317.19 7592.47 8909.66cft	$37.27m^3$ $214.86m^3$ $252.30m^3$	2328.91 m3		page no 3 & 4 item no
	Ditch Gali 233 R.length 625	72.25cft 1120.5cft 1192.75cft	$33.78m^3$			page no 6 & 7
	Total metal Gr-III		$286.08m^3$		666254.5	
Prime coat	R.length 2860 Gali-233	37443.98sft	$3317.85m^3$		113835	
BM	286 Gali 233	5991.01cft	$165.89m^2$		1232954	
Tack coat	2860 Gali 233	37443.98sft	$3317.85m^2$		36695	
SDBC	2860 Gali 233	3056cft	$82.95m^3$		696785	
				Total	3016300	

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

(i) उपरोक्त योजना में E/W cutting के अनुसार G.S.B का कार्य किया जाना था। G.S.Bकार्य में Ditch का प्रावधान नहीं किया गया था। फिर भी Ditch कार्य में GSB कार्य 426.96 cft= $12.08m^3$ मापीपुस्त में दर्ज की गई थी जिसके लिए ₹ 19158 (12.08x@1585.92) का भुगतान संवेदक को किया गया था। इस प्रकार प्रावधान के इतर कार्य पर किया गया भुगतान अनियमित था तथा इस कार्य की मापी संदिग्ध थी।

कार्यालय द्वारा इस संबंध में जवाब दिया गया कि उक्त कार्य का प्राक्कलन का निर्माण एवं कार्य संपादन बीच की अवधि में पथ में डीच का निर्माण हुआ, जिसको भरा जाना आवश्यक था। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इस संबंध में सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं किया गया था।

(ii) मापीपुस्त के पृष्ठ 7 के अनुसार, 625 फीट को लम्बाई में metal Gr-III कार्य की मापी मापीपुस्त में दर्ज की गई थी परन्तु उक्त लम्बाई में Prime coat, BM, Tack coat, SDBC का कार्य नहीं कराया गया था। इस प्रकार 625 फीट की लम्बाई में किए गए कार्य की मात्रा 520 cft =14.716 m^3 की मापी संदिग्ध थी एवं इस पर किया गया भुगतान ₹ 34272 (14.176 x@2328.91) अनियमित था। कार्य की मापी इस प्रकार की गई थी–

Near Madhubani Sipahi tola Pitch Road Chainage 0′ to 500′

5x100′10′1″	=400cft
1x50′x12′x1″	=48cft
1x75′x12′x1″	=72cft
	520cft

उपरोक्त chainage की लम्बाई 500′ थी, फिर 625′ (5x100+50+75) में कार्य किस प्रकार कराया जा सकता है।

जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया कि Prime coat, BM, Tack coat & SDBC का कार्य मेटल के कार्य के बाद किया जाता है। मेटल कार्य स्थल के अनुरूप लेभल मेंटेन करने के लिए कराया गया था। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि जवाब आपत्ति के अनुरूप नहीं है।

(iii) E/W in cutting road embankment की मापी की गणना निम्न प्रकार से की गई थी–

M.B. page no- 1,	500′ to 600′	2x100′x1′6″x8″	231cft
	600′ to 700′	2x100′x1′6″x8″	231cft
			462cft

जबकि लेखापरीक्षा की गणना के अनुसार 400cft आता है। अतः मात्रा अधिक्य गणना की गई थी। उक्त गणना 462cft के अनुसार GSB की भी गणना की गई थी। फलतः संवेदक को ₹ 2861 की अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया था। विवरणी इस प्रकार है–

62cft	=1.75m3	
E/W	1.75x@49.22	86
GSB	1.75x@1585.92	2775
	Total	₹ 2861

जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया कि अंतिम भुगतान में एकरारनामा में स्वीकृत मात्रा के अनुरूप ही मिट्टी एवं जी.एस.बी. का मात्रा मापी पुस्त में दर्ज है एवं भुगतान भी किया गया है। संवेदक को अधिक

भुगतान नहीं किया गया है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि मापी पुस्त में मापी में त्रुटि था जिसके कारण अधिक भुगतान किया गया।

(iv) प्रतिवेदन एवं प्राक्कलन में यह स्पष्ट किया गया था कि सड़क की चौड़ाई बढाकर सम्पूर्ण लंबाई (900 मी0) तथा चौड़ाई में BM, SDBC, prime coat तथा tack coat का कार्य किया जाना था। परन्तु मापीपुस्त के अवलोकन से पाया गया कि गली जिसकी लम्बाई 0' से 233' थी में E/W cutting एवं GSB का कार्य नहीं कराई गई थी जबकि कालीकरण का कार्य कराया गया था। जिससे स्पष्ट होता है कि गली में कार्य कराने का प्रावधान नहीं था। इस प्रकार प्राक्कलन से ईतर कार्य कराया गया था जिसके लिए ₹ 88680 भुगतान संवेदक को किया गया था। विवरणी इस प्रकार है–

गली– 0' से 233'

क.	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा		दर	भुगतान
1	Gr-III	72.25+262.50+237.50+36 =608cft	17.21m3	2328.91	40081
2	P.coat	289+105+950+144 =2433sft=226m2 (B.O.Q. के अनुसार मात्रा सीमित कर भुगतान किये जाने के कारण 135m2 लिया गया है)	(226-161) =135m2	34.31	4632
3	B.M.	46.24+168+152+23 =389.24cft=11.01m3	3.65m3 (B.O.Q के अनुसार मात्रा सीमित कर भुगतान किये जाने के कारण मात्रा 3.65 m3 लियाा गया है)	7432	27127
4	T.coat	46.24+168+152+23 =389.21m3=11.01m3	3.65m3 (Same as above)	11.06	40
5	SDBC	23.12+84+76+11.52 =194.64=5.50m3	2m3 (B.O.Q के अनुसार मात्रा सीमित कर भुगतान किये जाने के कारण मात्रा 20 m3 लियाा गया है)	8400.07	16800
			Total		88680

कार्यालय द्वारा इस संबंध में जवाब दिया गया कि स्थल के अनुरूप स्थानीय आम जनता एवं वरीय तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा कार्य के दौरान दिए गए मौखिक सलाह एवं निदेश के अनुरूप कार्य कराया गया एवं प्राक्कलन एवं एकरारनामा में स्वीकृत मात्रा के अधीन ही मापी पुस्त में दर्ज किया गया, तदनुरूप भुगतान किया गया था। सुलभ प्रसंग हेतु मापी पुस्त की अंतिम पृ0सं0 15 से 18 संलग्न की जाती है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इस में सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

कंडिका– 06 <u>सामग्री ढुलाई में अनियमित भुगतान राशि ₹ 9.69 लाख</u>

योजना का नाम: नगर निगम पूर्णियाँ अंतर्गत रामबाग प्रो0 कॉलोनी रोड नं.–01 पी.सी.सी. रोड से भाया सत्यनारायण मंडल एवं एच.के मंडल के घर से हरी ओम कुशवाहा के घर तक एवं विनय मिश्रा के घर से मदन भगत के घर तक पथ निर्माण।

प्राक्कलित राशि– ₹ 9081963

कार्य पूर्ण करने की अवधि– छः माह

Agreement No 11/F2/16-17

एकरारनामा की राशि– ₹ 8173766

कार्य की स्थिति– प्रगति पर

भुगतान की राशि– ₹ 3226022

संवेदक का नाम– श्री जितेन्द्र कुमार

बिहार लघु खनिज समदुान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के प्रावधानानुसार अवैद्य खनन को रोकने एवं लघु खनिज के ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु संवेदकों से प्रपत्र एम तथा एन एवं चालान का लिया जाना अनिवार्य है। चालानों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से कराये जाने के पश्चात ही विपत्रों का भुगतान किया जाना है।

उक्त योजना की संचिका एवं मापी पुस्त की जॉच कम में पाया गया कि योजना में प्रयुक्त समाग्री के कय से संबंधित प्रपत्र एम एवं एन संलग्न नहीं पाया गया। जिससे इस कार्य में प्रयुक्त समाग्री की मात्रा गुणवत्ता एवं ढुलाई के भुगतान को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इस योजना में ढुलाई मद भुगतान का विवरण इस प्रकार है–

क्र.सं.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर (₹)	ढुलाई पर व्यय
1	Bricks	32970 No	555	18298
2	Stone chips	352.15m3	1797 m3	632813
3	Corse sand	176.07m3	1409m3	248158
4	Local sand	357.67m3	194.36m3	69516
			Total	₹ 968785

उपरोक्त सामग्री से संबंधित एम एवं एन प्रपत्र संवेदक से नहीं लिए जाने के संबंध में कार्यालय द्वारा बताया गया कि योजना के विपत्रों में से रॉयल्टी की राशि कटौती कर खनन कार्यालय में जमा कर दिया गया है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि ढुलाई भाड़ा के संबध में उपरोक्त बिहार लघु खनिज समदुान नियमावली 1972 के नियम 40(10) का पालन नहीं किया गया।

कंडिका– 7 <u>समय वृद्धि की राशि का अनियमित वापसी किया जाना ₹ 2.63 लाख</u>

योजना कार्य का नाम– सरस्वती शिशु मंदिर से प्रो0 श्यामने यादव के घर तक भाया सतिश साह एवं विजय महतो के घर तक पी.सी.सी. कार्य

प्राक्कलित राशि– ₹ 3596567 Tender held on 17.07.10

एकरारित राशि– ₹ 3596567

निवेदित दर– as per schedule

कार्य समाप्ति की अवधि– 3 माह i.e. on before 19.11.2010

कार्य आरंभ की तिथि– 20.08.2010

अनुबंध संख्या– 21 / F2 / 10–11

संवेदक का नाम– श्री रविन्द्र सिंह

भुगतान विवरणी–

(1) 959381	Vr. No 22/30.11.2011
(2) 1207053	Vr. No 04/21.12.2011
(3) 1070511	Vr. No 02/18.03.2011
(4) 353587	Vr. No 22/31.05.2012

E.O.T की राशि–

120705	Vr. No 04/21.12.2010
107051	Vr. No 02/18.03.2011
35359	Vr. No 22/31.05.2012
₹ 263115	

कार्य भौतिक स्थिति– पूर्ण

उपरोक्त योजना के संचिका के अवलोकन से पाया कि संवेदक द्वारा निधि का अभाव, मध्यावधि विधानसभा चुनाव का कारण बताते हुए समय वृद्धि विस्तार हेतु दिनांक 12.12.12 को आवेदन दिया गया जिसपर निधि का अभाव में कार्य विलंब से हुआ था, वैद्य कारण मानते हुए समयवृद्धि की अनुशंसा का0अभि0, डुडा, पूर्णियॉ द्वारा की गई थी। उक्त के आलोक में मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना पत्रांक–11 न.वि.अभि.(को.)1175 / 2016 / 1963 पटना दिनांक 16.12.16 द्वारा उक्त कार्य की समय विस्तार दिनांक 19.11.2010 से दिनांक 28.05.2012 तक की स्वीकृति दी गई।

इस स्वीकृति के आलोक में कार्यालय द्वारा संवेदक को कटौती की गई समय वृद्धि की राशि ₹ 263115 को वापस कर दी गई।

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

(i) एकरारनामा के शर्त 5 में स्पष्ट उल्लेख है If the contractor shall desire any extension of the time for completion of the work, on the ground of his having been unavoidably hindered in its execution or on any other ground other than those mentioned in clause 12(a) he shall apply in writing to the Ex- Engineer within 40 days from the date of starting of the hinderance on account of which be desires such extension as aforesaid and the Ex Engineer shall, if in his opinion reasonable grounds be shown thread of authorised such Extension of time if any, as may in his opinion be necessary of proper.

उक्त शर्त का अनुपालन संवेदक द्वारा नहीं किया गया था।

(ii) निविदा आमंत्रण सूचना 07/2010–11 के कंडिका 16 में स्पष्ट किया गया था कि आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जाएगा। इस मद में कोई भी दावा या ब्याज इत्यादि अनुमान्य नहीं होगा।

स्पष्टतः निधि की अनुपलब्धता का कारण मानते हुए कटौती की गई समय वृद्धि की राशि ₹263115 संवेदक को वापस किया जाना अनियमित है।

उपरोक्त अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त योजना में मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1963, दिनांक 16.12.2016 द्वारा समय वृद्धि के रूप में कटौती की गई राशि वापस की गई। सुलभ प्रसंग हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न की जाती है।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि एकरारनामा के शर्त 5 के अनुसार कार्य की समय वृद्धि हेतु उचित कारणों सहित कार्य में बाधा उत्पन्न होने की तिथि से 40 दिनों के अंदर संवेदक द्वारा आवेदन समर्पित किया जाना था तथा वैध कारण होने पर ही कार्य अवधि का विस्तार किया जाना था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अतः समय की वृद्धि की स्वीकृति अनियमित है।

कंडिका– 08 कार्य अधूरा छोड़ दिया जाना

योजना का नाम– चुनापुर चर्च के निकट से मंझेनी चौक भाया प्रधान टोला कब्रिस्तान एवं माधो महतो के घर तक सड़क में पी.सी.सी. कार्य (Group-4)

तकनीकि अनुमोदन की राशि– ₹ 3638800 दिनांक 14.05.2010 (का0अ0)

प्रशासनिक स्वीकृति– ₹ 3638800 दिनांक 21.06.10 (जिला पदा0)

तकनीकि स्वीकृति– उल्लेख नहीं

प्राक्कलित राशि– ₹ 3573745 (as per B.O.Q.)

एकरारनामा की राशि– ₹ 3573745 17F2/10–11/21.08.10

कार्यादेश की तिथि– 19.08.10 (पत्रांक 355/19.08.11)

संवेदक का नाम– श्री कुमार सुवेन्द्र सिंह

कार्य पूर्ण करने की अवधि– 3 माह i.e.18.11.10

भुगतान विवरणी	1250705	Vr. No 01/05.10.2010
	1750992	Vr. No 04/10.01.2011
SD की राशि	62535	Vr. No 01/05.10.2010
	87550	Vr. No 04/10.01.2010
	150085	

SD वापसी कि तिथि–

उपरोक्त योजना के प्रतिवेदन के अनुसार 1.00 किमी. लम्बाई में Flank repair कर पी.सी.सी. 0.20 M मुटाई के साथ किए जाने का प्रावधान किया गया था जिसमें निम्न कार्य किये जाने थे–

(1) Earth filling in embankment

(2) PCC MB

(3) Solar light- 1 No

B.O.Q. के अनुसार मात्र दो items of work (i) PCC MB (ii) construction of Embankment का कार्य का प्रावधान किया गया था।

मापीपुस्त के अनुसार, संवेदक द्वारा निम्न कार्य किये गये थे–

क्रमांक	दिनांक	कार्य	लम्बाई	मात्रा	राशि
1	23.09.10	PCC MB	1121 ft	218.13m3	1250705
2	10.11.10	-do-	1565 ft (1440+28+97)	305.39	1750992
			2686 ft= 818.69m	523.53	3001697

इस प्रकार 1000– 818.69 =181.31 मी0 लम्बाई में कार्य नहीं किया गया था। शेष बचे कार्य को पूरा कराने हेतु संवेदक को दिनांक 22.05.12 को पत्र निर्गत किया गया था। परन्तु संवेदक द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति–

(1) उक्त योजना को 3 महीने में i.e.18.11.2010 तक पूरा कर लिया जाना था जिसमें संवेदक द्वारा 181. 31 मी0 लंबाई में पी.सी.सी. तथा construction of Embankment का कार्य नहीं किया गया था उक्त कार्य नहीं किये जाने का कारण लेखापरीक्षा को स्पष्ट नहीं किया गया।

(2) संवेदक द्वारा कार्य पूरा नहीं किये जाने कि स्थिति में penal action एवं एकरारनामा के शर्तों के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई थी।

(3) उक्त कार्य को पूर्ण कराने के दिशा में किए गए प्रयासों से भी लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

उपरोक्त आपत्ति के संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि भूमि विवाद के कारण कार्य प्राक्कलन के अनुसार पूरी लम्बाई में नहीं हो पाया। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

कंडिका– 9 समयवृद्धि की राशि का अनियमित वापसी ₹1.03 लाख

योजना का नाम– लखन चौक से रजनी चौक पथ का जीर्णोद्धार

अनुबंध संख्या– 37/F2/2008–09, दिनांक 27.01.2009

एकरारनामा की राशि– ₹ 4235787

कार्य प्रारंभ की तिथि– 27.01.2009